न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

III/निगरानी/सीधी/भू.रा./2017/3198

लक्ष्मण प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री तिलकधारी राम पाण्डेय, निवासी- खुर्द तहसील बहरी जिला सीधी (म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

1. अनिल पुत्र सत्यनारायण,
2. सुनील पुत्र सत्यनारायण,
3. भोला पुत्र हिन्छलाल,
4. रघुपति पुत्र हिन्छलाल
5. बृजमोहन पुत्र हिन्छलाल,
6. वृहस्पति पिता हिन्छलाल,
7. विजय पुत्र रघुपति,
8. अजय पुत्र रघुपति,
9. पुष्पराज पुत्र अंजनी,
10. मंयक पुत्र मनमोहन,
11. विमलेशपुत्र मनमोहन,
12. छठिलाल पुत्र बृहस्पति,
13. आनन्दपुत्र बृहस्पति,
14. संजीव पुत्र बृजमोहन, समस्त निवासीगण- नकझर खुर्द, तहसील बहरी, जिला सीधी (म.प्र.)
15. सरपंच ग्राम पंचायत क्षेत्र नकझार, खुर्द
16. म.प्र. शासन, द्वारा कलेक्टर सीधी म. प्र.

--अनावेदकगण

पेश आज दि. 8.9.17 को

8.9.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विनोद अग्रवाल
एडवोकेट
ग्वालियर
08-09-2017

न्यायालय अपर कलेक्टर, सीधी द्वारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/अपील/2016-17में पारित आदेश पारित दिनांक 18/08/2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

8/9/017

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, ग्राम नवझर खुर्द में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1205 एवं

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/सीधी/भूरा/2017/3198

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
25 –9–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 43/अपील/2016–2017 में पारित आदेश दिनांक 18.8.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता एवं शासन के पैनल अधिवक्ता के तार्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक को अपर कलेक्टर द्वारा 1/10 का आवेदन स्वीकार किया गया है तथा शसकीय रास्ते पर रोड का निर्माण कराने के आदेश दिये गये है। 3– चूंकि जब आवेदक को पक्षकार बना लिया गया था तब उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात ही कोई आदेश पारित किया जा सकता था। परिणामस्वरूप निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर आवेदक को पक्षकार बनाये जाने की सीमा तक आक्षेप आदेश स्थिर रखा जाता है। आदेश के शेष अंग पर पुनः विचार करने हेतु प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान विधि अनुसार आदेश पारित करें। सदस्य	